डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Office : Mohaan Road, Lucknow - 226 017, Website : http://dsmru.up.nic.in

पत्रांक : 1739 /पत्रा.COE-31(II)/DSMNRU/परीक्षा समिति/2023–24 दिनांक:21 नवम्बर, 2023

प्रेषक,

कुलसचिव,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
2. प्रो0 एच0 एस0 झा, आचार्य, समाजशास्त्र, सा0वि0 एवं समाज कार्य विभाग, विश्वविद्यालय।
3. डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता, सह आचार्य, वाणिज्य विभाग, विश्वविद्यालय।
4. डॉ0 आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, दृष्टिबाधितार्थ विभाग, विश्वविद्यालय।
5. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
6. प्राचार्य, टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ।
7. प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी।
8. प्राचार्य, कल्याणं करोति मथुरा।

विषय : डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ परीक्षा समिति की 14वीं बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या–सी.ओ.ई.–447, दिनाँक 27.10.2023 के क्रम में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की आयोजित 14वीं बैठक दिनाँक 04.11.2023 में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की छायाप्रति को इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :–
1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
परीक्षा समिति की चौदहवीं बैठक दिनांक 04.11.2023 का
कार्यवृत्त

समय :	अपराह्न 03:00 बजे
स्थान :	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित सभागार

एजेण्डा बिन्दु संख्या	कार्यवाही
1/14	**परीक्षा समिति की 13वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में।**
	निर्णय : परीक्षा समिति द्वारा 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/14	**परीक्षा समिति की 13वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	परीक्षा समिति की 13वीं बैठक में बिन्दुवार लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से परीक्षा समिति अवगत हुई एवं निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही की समीक्षोपरान्त निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए गए :– **(क) बिन्दु संख्या–9/13– परीक्षा विनियमन के बिन्दु संख्या–5.2 में उल्लिखित ईयर बैक की व्यवस्था के संबंध में उप बिन्दु संख्या–2** **निर्णय : परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि** "परीक्षा समिति की 13वीं बैठक में बिन्दु संख्या–9/13 के उप बिन्दु–02 में ऐसे विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति नियमानुसार पूर्ण है तथा जिन्होंने संबंधित अधिसत्र की समस्त आंतरिक परीक्षाओं में प्रतिभाग किया है, किन्तु किसी आकस्मिक चिकित्सीय कारणों (स्वयं के हास्पिटलाइज होने की दशा में) से संबंधित अधिसत्र की परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ईयर बैठक से छूट इस शर्त पर प्रदान की जायेगी, कि संबंधित विद्यार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ समस्त चिकित्सीय प्रमाण–पत्र संलग्न कर संबंधित विभाग में प्रस्तुत करने होंगे, जिस पर विभागीय स्तर से विद्यार्थी के प्रकरण को विद्यार्थी की उपस्थिति एवं समस्त आंतरिक परीक्षाओं में प्रतिभाग करने संबंधी विवरण के साथ पत्रावली के माध्यम से विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता की स्पष्ट संस्तुति पर परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त करते हुए बैक पेपर परीक्षा में प्रतिभाग कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया था।" परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त निर्णय की पुर्नसमीक्षोपरान्त उपरोक्त प्रक्रिया को यथावत् रखते हुए प्रकरण से संबंधित पत्रावली **विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता की स्पष्ट संस्तुति के साथ ही किसी सरकारी अस्पताल के चिकित्सक से सत्यापित कराते हुए** परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त करते हुए बैक पेपर परीक्षा में प्रतिभाग कराये जाने का निर्णय लिया गया। **(ख) बिन्दु संख्या--10/13 – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु** के उप बिन्दु (1) निर्णय "विश्वविद्यालय में अधिसत्र परीक्षाओं के सैद्धांतिक (थ्योरी) पेपर में किसी भी विद्यार्थी को 40 प्रतिशत से कम अथवा 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्रदान करने पर संबंधित शिक्षक द्वारा यथोचित कारण/टिप्पणी का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।" की पुर्नसमीक्षोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि :– **"विश्वविद्यालय में अधिसत्र परीक्षाओं के सैद्धांतिक (थ्योरी) पेपर में किसी भी विद्यार्थी को 40 प्रतिशत से कम अथवा 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्रदान करने पर संबंधित शिक्षक द्वारा यथोचित कारण/टिप्पणी का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा जिसे संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा सत्पापित किया जायेगा।** **(ग) बिन्दु संख्या–10/13 – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु** के उप बिन्दु (4) निर्णय "पी–एच0डी0 मौखिकी परीक्षा का आयोजन कोविड–19 के दृष्टिगत ऑन–लाइन मोड पर अनिवार्यतः कराये जाने तथा तद्नुसार विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति को भी अवगत कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।" की पुर्नसमीक्षोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि :– **"पी–एच0डी0 मौखिकी परीक्षा का आयोजन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति 16वीं**

(डॉ0 अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	बैठक के निर्गत कार्यवृत्त दिनाँक 07.07.2023 में परीक्षक की सहमति के क्रम में ऑन–लाइन अथवा ऑफ–लाइन दोनों प्रकार से सम्पन्न कराये जाने पर प्रदत्त अनुमोदन पर परीक्षा समिति द्वारा अवगत होते हुए तदनुसार शोध मौखिकी परीक्षा का आयोजन ऑन–लाइन अथवा ऑफ–लाइन मोड दोनो प्रकार से कराये जाने पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।"
3/14	**परीक्षा विनियमन, 2020 में वर्णित व्यवस्थानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की अधिसत्र परीक्षा में प्रतिभागिता के संबंध में।**
	निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय प्रदान किया गया:– **(क)** विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की अधिसत्र के अंत में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन–2020 के बिन्दु संख्या–1 उपस्थिति के संबंध में वर्णित व्यवस्थानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को अधिसत्र परीक्ष में प्रतिभाग किए जाने हेतु संबंधित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित शिक्षकवृन्द तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं के प्राचार्य/समन्वयक द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति को अधिसत्र परीक्षा से पूर्व ERP पोर्टल पर ऑन–लाइन अंकित किए जाने के उपरान्त ही संबंधित विद्यार्थियों का परीक्षा प्रवेश–पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। **(ख)** आगामी मिड सेमेस्टर टेस्ट तक अवधि तक विद्यार्थी उपस्थिति के संबंध में जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, संबंधित शिक्षकवृन्द विभागाध्यक्ष को सूचित करें एवं ऐसे विद्यार्थियों को चेतावनी–पत्र निर्गत करें। **(ग)** तत्काल उपरोक्त के संबंध में नोटिफिकेशन निर्गत किया जाये।
4/14	**अधिसत्र परीक्षा 03 घण्टे की आयोजित कराये जाने के संबंध में।**
	परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की अधिसत्र परीक्षा कोविड–19 वैश्विक महामारी की विषम परिस्थितियों के कारण 03 घण्टे के स्थान में मात्र 02 घण्टे की अधिसत्र परीक्षा आयोजित की जा रहीं थीं किन्तु वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी लगभग नगण्य हैं एवं डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा भी कोविड–19 को महामारी की सूची से पृथक कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में आगामी अधिसत्र परीक्षाएं एवं उनके पश्चात् आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षाओं को परीक्षा विनियमन, 2020 के बिन्दु संख्या–4–(4.5) में वर्णित व्यवस्थानुसार 03 घण्टे की अवधि की परीक्षा आयोजित कराया जाना तथा परीक्षा प्रश्न–पत्रों का प्रारूप परीक्षा विनियमन, 2020 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जाना प्रस्तावित किया गया है। **निर्णय :– परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय किया गया कि–** **(क)** विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन–2020 के बिन्दु संख्या–4–(4.5) में वर्णित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों की आगामी अधिसत्र/बैक पेपर परीक्षाओं का आयोजन 03 घण्टे की समयावधि के अनुसार ही सम्पादित कराया जाए। **(ख)** विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन–2020 के बिन्दु संख्या–3.9 के अन्तर्गत पैरा–4 में विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अधीन लिखित परीक्षा में 75 अंकों वाले प्रश्न–पत्रों में अंकों के निर्धारण के संबंध में पुर्नसमीक्षोपरान्त खण्ड– अ, खण्ड–ब एवं खण्ड–स में अधिकतम शब्दों की संख्या में संशोधन का निर्णय किया गया:– (1) **खण्ड–अ** में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल अंक 15 के होंगे जिसके अन्तर्गत प्रश्निकों द्वारा 05 प्रश्न बहुविकल्पीय, 05 प्रश्न सत्य/असत्य एवं 05 प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति के रूप में प्रश्न–पत्र प्रारूप में व्यवस्थित किए जाएं। (2) **खण्ड–ब** में लघुउत्तरीय प्रश्नों हेतु निर्धारित अधिकतम 100 शब्द सीमा को संशोधित कर अधिकतम **100 शब्द के स्थान पर अधिकतम 250 शब्द** निर्धारित किये जाने के निर्देश प्रदान किए गए। (3) **खण्ड–स** में विवरणात्मक प्रश्नों हेतु निर्धारित अधिकतम 250 शब्द सीमा को संशोधित कर अधिकतम **250 शब्द के स्थान पर अधिकतम 600 शब्द** निर्धारित किये जाने के निर्देश प्रदान किए गए।
5/14	**विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं हेतु विषम अधिसत्र परीक्षा के**

(डॉ० [illegible])
परीक्षा नियंत्रक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

अन्तर्गत मिड सेमेस्टर (आंतरिक परीक्षा) टेस्ट माह नवम्बर, 2023 में एवं प्रयोगिक परीक्षा माह दिसम्बर, 2023 में सैद्धान्तिक (थ्योरी) परीक्षा से पूर्व आयोजित कराये जाने के संबंध में।

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया जिस पर विचारोपरान्त यह तथ्य सामने आया कि चूंकि शैक्षणिक सत्र 2023–24 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में कतिपय पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है अथवा कतिपय पाठ्यक्रमों की कक्षाओं का संचालन कुछ समय पूर्व ही हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु प्रस्तावित आगामी अधिसत्र परीक्षा के अन्तर्गत आंतरिक (मिड सेमेस्टर टेस्ट एवं असाइनमेंट/प्रजेंटेशन) दिनांक 20 नवम्बर, 2023 से आयोजन संभव नहीं हो पायेगा।

निर्णय :– परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय/निर्देश प्रदान किए गए–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–24 में विभिन्न पाठ्यक्रमों आगामी अधिसत्र परीक्षा के अन्तर्गत आंतरिक परीक्षा (मिड सेमेस्टर टेस्ट एवं असाइनमेंट/प्रजेंटेशन) आयोजन का नोटिफिकेशन तत्काल निर्गत किया जाए।

(ख) शैक्षणिक सत्र 2023–24 में नवप्रवेशित विद्यार्थियों (प्रथम सेमेस्टर) की आंतरिक परीक्षा (मिड सेमेस्टर टेस्ट एवं असाइनमेंट/प्रजेंटेशन) 01 से 15 दिसम्बर, 2023 के मध्य आयोजित कराये जायें।

(ग) पूर्व से अध्ययनरत् विद्यार्थियों तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम् सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा (मिड सेमेस्टर टेस्ट एवं असाइनमेंट/प्रजेंटेशन) 25 नवम्बर, 2023 से 10 दिसम्बर, 2023 के मध्य आयोजित कराये जाएं।

(घ) विभिन्न पाठ्यक्रमों की आगामी अधिसत्र की सैद्धान्तिक (थ्योरी) परीक्षाएं दिनांक 20 जनवरी, 2024 अथवा उसके पश्चात् कराये जाएं।

6/14 **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ के मेडिकल पी0जी0 पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजन के संबंध में।**

परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्राचार्य/डीन, टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ में बैच/शैक्षणिक सत्र 2020–21 में संचालित 03 वर्षीय पी0जी0 मेंडिकल पाठ्यक्रमों–MD Pathology & MD Community Medicine के Synopsis of Dissertation (Thesis Form) के मूल्यांकन एवं उसके उपरान्त लिखित/फाइनल परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षा प्रक्रिया/सम्पादन के सम्बध में N.M.C. गाइड लाइन के बिन्दु संख्या–14 के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था है–

14. EXAMINATIONS

The examinations shall be organised on the basis of grading or marking system to evaluate and certify candidate's level of knowledge, skill and competence at the end of the training and obtaining a minimum of 50% marks in theory as well as practical separately shall be mandatory for passing the whole examination. The examination for M.S., M.D, M.Ch shall be held at the end of 3 academic years (six academic terms) and for diploma at the end of 2 academic years (four academic terms). The academic terms shall mean six months training period.

The above clause 14 is sub]tituted in terms of Gazette Notification published on 20.10.2008 and the same is as under:-

"The examinations shall be organised on the basis of 'Grading' or 'Marking system' to evaluate and to certify candidate's level of knowledge, skill and competence at the end of the training. Obtaining a minimum of 50% marks in 'Theory' as well as 'Practical' separately shall be mandatory for passing examination as a whole. The examination for M.D./ MS, D.M., M.Ch shall be held at the end of 3rd academic year and for Diploma at the end of 2nd academic year. An academic term shall mean six month's training period."

The Clause 14 under the heading "EXAMINATION" shall be substituted in terms of Gazette Notification published on 05.04.2018 and the same is as under-

Obtaining a minimum of 40% marks in each theory paper and not less than 50% cumulatively in all the four papers for degree examinations and three papers in diploma examination. Obtaining of 50% marks in Practical examination shall be mandatory for passing the examination as a whole in the said degree/diploma examination as the case may be.

परीक्षा नियंत्रक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

(1) EXAMINERS

(a) All the Post Graduate Examiners shall be recognised Post Graduate Teachers holding recognised Post Graduate qualifications in the subject concerned.

(b) For all Post Graduate Examinations, the minimum number of Examiners shall be four, out of which at least two (50%) shall be External Examiners, who shall be invited from other recognized universities from outside the State. Two sets of internal examiners may be appointed one for M.D./M.S. and one for diploma.

(c) Under exceptional circumstances, examinations may be held with 3 (three) examiners provided two of them are external and Medical Council of India is intimated the justification of such action prior to publication of result for approval. Under no circumstances, result shall be published in such cases without the approval of Medical Council of India.

(d) In the event of there being more than one centre in one city, the external examiners at all the centres in that city shall be the same. Where there is more than one centre of examination, the University shall appoint a Supervisor to coordinate the examination on its behalf.

The above clause 14.1(d) is deleted in terms of Gazette Notification published on 20.10.2008.

(e) The examining authorities may follow the guidelines regarding appointment of examiners given in Appendix-I

(2) Number of candidates

The maximum number of candidates to be examined in Clinical/practical and Oral on any day shall not exceed eight for M.D./M.S. degree, eight for diploma and three for D.M./M/Ch examinations.

(3) Number of examinations

The university shall conduct not more than two examinations in a year, for any subject, with an interval of not less than 4 and not more than 6 months between the two examinations.

(4) Doctor of Medicine (M.D.)/Master of Surgery (M.S.)

M.D./M.S. examinations, in any subject shall consist of Thesis, Theory Papers, and clinical/Practical and Oral examinations.

(a) Thesis

Every candidate shall carry out work on an assigned research project under the guidance of a recognised Post Graduate Teacher, the result of which shall be written up and submitted in the form of a Thesis.

Work for writing the Thesis is aimed at contributing to the development of a spirit of enquiry, besides exposing the candidate to the techniques of research, critical analysis, acquaintance with the latest advances in medical science and the manner of identifying and consulting available literature. Thesis shall be submitted at least six months before the theoretical and clinical practical examination

In the above sub-clause 14(4)(a) the sentence "Thesis shall be submitted at least six months before the theoretical and clinical practical examination" shall be substituted by the sentence "Thesis shall be submitted at least six months before the Theory and Clinical Practical examination" in terms of Gazette Notification published on 20.10.2008

The thesis shall be examined by a minimum of three examiners; one internal and two external examiners, who shall not be the examiners for Theory and Clinical; and on the acceptance of the thesis by two examiners, the candidate shall appear for the final examination.

The above clause of 14.4(a) is substituted in terms of Gazette Notification published on 20.10.2008 and the same is as under:-

"The thesis shall be examined by a minimum of three examiners; one internal and two external examiners, who shall not be the examiners for Theory and Clinical examination. A candidate shall be allowed to appear for the Theory and Practical/Clinical examination only after the acceptance of the Thesis by the examiners."

परीक्षा नियंत्रक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

(b) Theory

(i) There shall be four theory papers.

(ii) Out of these one shall be of Basic Medical Sciences and one shall be of recent advances

(iii) The theory examinations shall be held sufficiently earlier than the Clinical and Practical examination, so that the answer books can be assessed and evaluated before the start of the Clinical/Practical and Oral examination.

In the above sub-clause 14(4)(b) (iii), the words the words "sufficiently earlier than" are substituted by "well in advance before", and the word "start" is substituted by "commencement" in terms of Gazette Notification dated 20.10.2008.

Provided that after five years from the commencement of these regulations, there shall be one theory paper of 'multiple choice questions'; unless any institution wants to have such paper earlier.

The above proviso to sub-clause 14(4)(b) is deleted in terms of Gazette Notification dated 20.10.2008.

(c) Clinical / Practical and Oral

(i) Clinical examination for the subjects in Clinical Sciences shall be conducted to test the knowledge and competence of the candidates for undertaking independent work as a specialist/Teacher, for which candidates shall examine a minimum one long case and two short cases.

(ii) Practical examination for the subjects in Basic Medical Sciences shall be conducted to test the knowledge and competence of the candidates for making valid and relevant observations based on the experimental/Laboratory studies and his ability to perform such studies as are relevant to his subject.

(iii) The Oral examination shall be thorough and shall aim at assessing the candidate knowledge and competence about the subject, investigative procedures, therapeutic technique and other aspects of the speciality, which form a part of the examination.

A candidate shall secure not less than 50% marks in each head of passing which shall include (1) Theory, (2) Practical including clinical and viva voce examination.

उपरोक्तानुसार NMC गाइडलाइन के अनुक्रम में के0जी0एम0यू0 में प्रचलित प्रपत्र की भाँति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर मेडिकल पी0जी0 पाठ्यक्रमों की Synopsis of Dissertation (Thesis Form)के मूल्यांकन एवं उसके उपरान्त लिखित/फाइनल परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षा प्रक्रिया/सम्पादन के सम्बध में निम्नानुसार कार्ययोजना कार्येत्तर स्वीकृति/अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है–

01). MD Pathology & MD Community Medicine की Synopsis of Dissertation (Thesis Form) में मूल्यांकन आख्या/रिपोर्ट प्रस्तुत/प्राप्त की जायेगी।

02). लिखित/फाइनल/क्लीनिकल परीक्षा से 06 माह पूर्व Synopsis of Dissertation (Thesis Form) को जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे समय से मूल्यांकन पूर्ण करते हुये ससमय लिखित परीक्षा पूर्ण कराई जा सके। Synopsis of Dissertation (Thesis Form)की मूल्यांकन रिपोर्ट विलम्ब से आने की दशा में (लिखित/फाइनल/क्लीनिकल परीक्षा के आयोजन के समय तक प्राप्त न होने की दशा में) विद्यार्थी द्वारा Synopsis of Dissertation (Thesis Form)के मूल्यांकन रिपोर्ट नकारात्मक/स्वीकार न होने की दशा में उनकी लिखित परीक्षा स्वतः निरस्त मानी जायेगी जिसमें विद्यार्थी के किसी प्रकार की अपत्ति नहीं होगी, तद् आशय की अण्डरटेकिंग/वचनबद्धता उक्त विद्यार्थी द्वारा दिये जाने पर लिखित परीक्षा सम्पादित कराई जा सकेगी। परन्तु Synopsis of Dissertation (Thesis Form)के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् आयोजित लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकेगा। लिखित/फाइनल/क्लीनिकल परीक्षा आयोजन के लिये परीक्षा कार्यक्रम 45 दिन पूर्व घोषित किया जाना होगा।

03). एन0एम0सी0 गाइड लाइन के परिप्रेक्ष्य में परीक्षकों द्वारा Synopsis of Dissertation (Thesis Form)पर उपरोक्तानुसार निर्धारित किये गये मूल्यांकन–प्रपत्र पर स्वीकार्यता (Acceptence)प्रदान किये जाने के उपरान्त ही संबंधित विद्यार्थी की लिखित/फाइल परीक्षा एवं प्रायोगिकी/मौखिकी परीक्षा सम्पादित कराई जायेगी।

04). उपरोक्तानुसार Synopsis of Dissertation (Thesis Form) में परीक्षक द्वारा किसी भी

(डॉ0 ...)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो0 ... पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रकार के Modificationका सुझाव दिया जाता है तो उसे संबंधित छात्र द्वारा Modify करने के पश्चात् नियमानुसार पुनः मुल्यांकन की प्रक्रिया उसी परीक्षक से सम्पन्न कराई जाएगी।

05). Synopsis of Dissertation (Thesis Form) के मूल्यांकन/रिपोर्ट में किन्ही दो परीक्षकों द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट दी जाती है अथवा स्वीकार्यता प्रदान नही की जाती है तो उस विद्यार्थी की लिखित/फाइनल/क्लीनिकल परीक्षा सम्पादित नहीं कराई जाएगी। पुनः 06 माह बाद Synopsis of Dissertation (Thesis Form)की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सम्बन्धित विद्यार्थी द्वारा डीन के माध्यम से Synopsis of Dissertation (Thesis Form) जमा की जायेगी तत्पश्चात् मूल्यांकन प्रक्रिया उपरोक्तानुसार पूर्ण की जायेगी।

06). Synopsis of Dissertation (Thesis Form) के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों को 1000/–रूपया मात्र मानदेय/पारिश्रमिक प्रदान किया जायेगा।

07). उपरोक्तानुसार 03 वर्षीय मेंडिकल PG पाठ्यक्रम के सम्बन्धित विद्यार्थियों द्वारा दिये गये Synopsis of Dissertation(Thesis Form) के मूल्यांकन हेतु आन्तरिक परीक्षक–01 (संबंधित संस्था से) एवं वाह्य परीक्षक–02 (02 में से 01 परीक्षक उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थित संस्थान का होगा) मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित/अनुमोदित किया जायेगा।

निर्णय :–परीक्षा समिति उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्राचार्य/डीन, टी0एस0 मिश्र मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ में बैच/शैक्षणिक सत्र 2020–21 में संचालित 03 वर्षीय पी0जी0 मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेशित 03 छात्र MD-PATHOLOGYतथा 01 छात्र MD-COMMUNITY MEDICINEकी पाठ्यचर्या एवं Synopsis of Dissertation (Thesis Form) के के0जी0एम0यू0 में प्रचलित प्रपत्र की भॉति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षा से मूल्यांकन रिपोर्ट/आख्या प्रस्तुत/प्राप्त किये जाने तथा उसके उपरान्त लिखित/फाइनल परीक्षा के सम्पादन/आयोजन हेतु परीक्षा प्रक्रिया/सम्पादन के संबंध में नियामक संस्था National Medical Commission (N.M.C) की गाइड लाइन को यथावत् अंगीकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

7/14 विश्वविद्यालय परीक्षा समिति में समस्त नवीन सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं के प्राचार्य/समन्वयक को सदस्य नामित किए जाने के संबंध में।

विश्वविद्यालय में परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर समय–समय पर विचार–विमर्श कर उचित निर्णय लिये जाने एवं परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुगम एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु परीक्षा समिति का गठन किया गया है।

विश्वविद्यालय से पूर्व से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थाओं की सम्बद्धता समाप्त हो चुकी है एवं नवीन महाविद्यालयों/संस्थाओं की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। तत्क्रम में जिन सम्बद्ध संस्थाओं की सम्बद्धता समाप्त हो चुकी है उनकी सदस्यता के रूप में सहभागिता को समाप्त करने तथा विस्तारित/नवीन सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों को परीक्षा सम्बन्धित प्रकरणों में विचार–विमर्श किये जाने हेतु सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व/सहभागिता हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है–

1. कुलपति	: अध्यक्ष
2. कुलसचिव	: सदस्य सचिव
3. विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के समस्त अधिष्ठाता	: सदस्य
4. प्रो0 एच0 एस0 झा, आचार्य	: सदस्य
5. डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता, सह आचार्य	: सदस्य
6. श्री आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य	: सदस्य
7. परीक्षा नियंत्रक	: सदस्य
8. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/ संस्थाओं के प्राचार्य/समन्वयकगण	: सदस्य

निर्णय :–परीक्षा समिति के बिन्दु संख्या–08 पर नामित सदस्य के कम में उनके प्रतिनिधित्व/सहभागिता हेतु निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है–

(क) परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय स्तर से फैकल्टी अनुमोदन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सम्पन्न करायी जाये।

(ख) उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं की अनुमोदित फैकल्टी में से ही अधिकृत प्राचार्य/समन्वयक को विश्वविद्यालय परीक्षा समिति में सदस्य (संस्थावार) के रूप में नामित किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

(डॉ० ...)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो० ... पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

(ग) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिन महाविद्यालय/संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालय स्तर से फैकल्टी अनुमोदन संबंधी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, उन सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं की आगामी परीक्षाएं न करायी जाएं।

8/14 **परीक्षा विनियमन–2020 में वर्णित व्यवस्थानुसार सम अधिसत्र की परीक्षा के साथ विषम अधिसत्र की बैक पेपर परीक्षा आयोजित कराये जाने के संबंध में।**

परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि परीक्षा विनियमन, 2020 के बिन्दु संख्या–5.2 में वर्णित व्यवस्थानुसार शैक्षिक सत्र 2023–24 से विषम अधिसत्र की बैक पेपर परीक्षा आगामी सम अधिसत्र की परीक्षा के साथ तथा सम अधिसत्र की सामान्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त सम अधिसत्र की बैक पेपर परीक्षा आयोजित कराना प्रस्तावित किया है।

निर्णय : परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह भी निर्देश प्रदान किए गए कि सम अधिसत्र की बैक पेपर परीक्षा, सम अधिसत्र के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त एक माह की अवधि में करा लिये जाएं।

9/14 **विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को वितरित किये जाने वाले पदकों हेतु मेडल रूल्स में संशोधन के संबंध में।**

परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के अवसर पर निर्धारित किये गये मानकों एवं शर्तों के अधीन वितरित किये जाने वाले विभिन्न श्रेणी के पदकों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	पदक की श्रेणी	प्रस्तावित मानक
01.	**कुलाध्यक्ष पदक** (स्वर्ण, रजत एवं कांस्य)	➢ विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के समस्त संचालित पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी।
02.	**मुख्यमंत्री पदक** (स्वर्ण, रजत एवं कांस्य)	➢ विश्वविद्यालय में संकायवार स्नातक स्तर के समस्त संचालित पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी। ➢ विश्वविद्यालय में संकायवार स्नातकोत्तर स्तर के समस्त संचालित पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी।
03.	**कुलपति पदक** (स्वर्ण, रजत एवं कांस्य)	➢ विश्वविद्यालय में विभागवार स्नातक स्तर के समस्त संचालित पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी। ➢ विश्वविद्यालय में विभागवार स्नातकोत्तर स्तर के समस्त संचालित पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी।
04.	**विशेष पदक**	➢ विश्वविद्यालय में प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के विशेष पदकों हेतु धनराशि का निर्धारण करते हुए पदक प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों के संबंध में उनके प्रायोजकों के द्वारा सुझाये गये मानकों/ व्यवस्था के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अर्ह विद्यार्थियों को निर्धारित मानकों के सापेक्ष तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये गये पदकों को निम्नानुसार सशर्त वितरित/प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है :–

1. वे विद्यार्थी जिन पर उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक/ दण्डात्मक/यू0एफ0एम0 कार्यवाही की गई हो/संज्ञानित हो, वे किसी भी दशा में पदक हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे।
2. जिन विद्यार्थियों द्वारा सुधार/बैक पेपर परीक्षा परिणाम की सुविधा की स्थिति का लाभ प्राप्त किये हुए सर्वाधिक अंक प्राप्त किये गये हैं, ऐसे विद्यार्थी पदक के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।
3. यदि पदक वितरण में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि निर्धारित योग्यता के सापेक्ष एक से अधिक विद्यार्थी की समतुल्य–पात्रता (टाईअप) पाई जाती है तो निम्नानुसार वरीयता/मानक प्रणाली के आधार पर वांछित योग्यता के सापेक्ष एक विद्यार्थी को पदक प्रदान किये जाने की पात्रता निर्धारित की जायेगी :–
   - ➢ समस्त विषयों में समानुपातिक विधि के अनुसार सर्वाधिक विशिष्टतायें (Distinctions) प्राप्त करने वाला विद्यार्थी।

(डॉ० अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

अथवा

- ➢ सेमेस्टर में अधिकतम उपस्थिति (औसत गणना के आधार पर)।

अथवा

- ➢ पूर्व में उत्तीर्ण पाठ्यक्रम–उच्चतम से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।

अथवा

- ➢ जन्मतिथि के अनुसार वरिष्ठ आयु के आधार पर।

4. उपर्युक्त वरीयता के आधार पर भी पदक प्राप्त करने वाले एक से अधिक विद्यार्थी की पात्रता पाई जाती है तो समरूपता के सिद्धान्त पर एक से अधिक विद्यार्थी को पदक दिये जाने का प्राविधान होगा।

निर्णय :–परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को वितरित किये जाने वाले पदकों हेतु मेडल रूल्स पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्त तालिका के बिन्दु संख्या–04 पर वर्णित विशेष पदक के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के दीक्षान्त समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को वितरण किए जाने वाले विशेष पदकों हेतु प्रचलित नियमों/व्यवस्था को प्राप्त करते हुए विशेष पदक के निर्धारण जिसमें वाह्य प्रायोजक द्वारा विश्वविद्यालय में विशिष्ट व्यक्ति/ख्यातिलब्ध संस्था के नाम विशेष–पदक स्थापित कराने हेतु न्यूनतम् धनराशि का निर्धारण इत्यादि सम्मिलित होगा, इस हेतु समिति के गठन किये जाने के लिये मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। उक्त समिति द्वारा प्रेषित आख्या को आगामी परीक्षा समिति में निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

10/14 **विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं में आयोजित परीक्षाओं में ड्यूटी करने वाले शिक्षकवृन्द एवं गैर–शैक्षिक कार्मिकों के परीक्षा संबंधी मानदेय के संबंध में।**

परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की तृतीय बैठक दिनाँक 18.03.2019 के बिन्दु संख्या–6/3 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये पुनरीक्षित पारिश्रमिक दरों हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–176/70–1–2019– 15(32/81) दिनाँक 09.03.2019 को लागू किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी, जो कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 23वीं बैठक दिनाँक 04.04.2019 के बिन्दु संख्या–20/23 पर तथा वित्त समिति की 19वी बैठक दिनाँक 01.07.2019 के बिन्दु संख्या–5/19(बी–6) में अनुमोदित है।

उपर्युक्तानुसार विश्वविद्यालय में परीक्षा सम्बन्धी दायित्वों/कार्यों के लिये निर्धारित परिश्रमिक दरों में परीक्षा सम्बन्धी दिये जाने वाले दायित्वों/कार्यों की प्रकृति की विशिष्टता एवं भिन्नता होने के कारण कुछ पारिश्रमिक दरों का विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार विचार–विमर्शोंपरांत निर्धारण हेतु निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है। विश्वविद्यालय की प्राधिकृत परिषद/समिति में औचित्यपूर्ण आख्या के आधार पर मानदेय/पारिश्रमिक निर्धारण हेतु अनुमोदन के संबंध में अद्यतन स्थिति निम्नवत् है–

तालिका–01

क्रमांक	मद	शासनादेश दिनाँक 09.03.2019 द्वारा लागू पुनरीक्षित दर (रू0 में)	विश्वविद्यालय की प्राधिकृत परिषद/समिति में औचित्यपूर्ण आख्या के आधार पर मानदेय/पारिश्रमिक निर्धारण हेतु अनुमोदन के संबंध में अद्यतन स्थिति	
1	**परीक्षा केन्द्रों का पारिश्रमिक**			
	1. कक्ष निरीक्षक	120.00	120.00	उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–176/70–1– 2019–15 (32/81) दिनाँक 09.03.2019 के अनुसार लागू है।
	2. सहायक केन्द्राध्यक्ष	130.00	130.00	
	3. केन्द्राध्यक्ष	145.00	145.00	
	परीक्षा केन्द्रों का पारिश्रमिक (दृष्टिबाधित/दिव्यांग विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी कार्य हेतु)			
	1. कक्ष निरीक्षक		160.00	विश्वविद्यालय में सामान्य विद्यार्थी के साथ–साथ
	2. सहायक केन्द्राध्यक्ष		170.00	

(डॉ0 ...)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

		3. केन्द्राध्यक्ष		185.00	दिव्यांग विद्यार्थियों का पठन–पाठन किया जाता है। दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों हेतु) विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार परीक्षा में नामितकेन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष / कक्ष निरीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्र में निर्धारित परीक्षा अवधि से एक घण्टा प्रतिपॉली का समय प्रदान किया जाता है। तद्नुसार औचित्यपूर्ण आख्या पर वित्त समिति की 21वीं बैठक के बिन्दुसंख्या–17 / 21 पर बिन्दुवार दिये गये अनुमोदन के क्रम में कार्यपरिषद की 29वीं बैठक के बिन्दु संख्या–10 / 29 उपर्युक्ता–नुसार वित्त समिति के निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–17 / 21 में परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु पारिश्रमिक / मानदेय निर्धारण में उल्लिखित उपबिन्दु (क से घ तक) में कुछ आपत्तियाँ व्यक्त की गयी, जिसे स्पष्ट किये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए वित्त समिति की 21वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में ही वित्त समिति की 23वीं बैठक के बिन्दु संख्या–4 / 23 में परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु पारिश्रमिक / मानदेय निर्धारण विषयक प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार वित्त समिति की 21वीं बैठक के बिन्दु संख्या–17 / 21 के उपबिन्दु ख में उल्लिखित मात्र पैराक्रमांक–2 (वाह्य पर्यवेक्षक के मानदेय के संबंध में) तथा उपबिन्दु–ग में उल्लिखित मात्र पैराक्रमांक–3(संविदाकर्मी / कम्प्यूटर आपरेटर / चतुर्थ श्रेणी के मानदेय के संबंध में) के संदर्भ में निर्णय लिया गया है, जो कार्यपरिषद की 32वीं बैठक के बिन्दु संख्या–23 / 32 पर अनुमोदित है।
	2	**प्रायोगिक परीक्षा**			

(डॉ० ...)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	1. प्रयोगशाला सहायक (प्रतिदिन)	30.00	30.00	उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–176 / 70 –1– 2019–15 (32 / 81) दिनाँक 09.03.2019 के अनुसार लागू है।
	2. प्रयोगशाला परिचर	20.00	20.00	
3	**उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन**			
	1. स्नातक (प्रति पुस्तिका)	20.00	20.00 *(रू0 200 न्यूनतम्)	*समस्त पाठ्यक्रमों में यदि एक विषय कोड में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 10 या 10 से कम है तो परीक्षकों को स्नातक स्तर पर न्यूनतम् रू0 200/–मात्र तथा परास्नातक स्तर पर न्यूनतम् रू 250/– मात्र पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने पर परीक्षा समिति की 08वीं बैठक के बिन्दु संख्या 10/08 पर तथा कार्य परिषद की 32वीं बैठक के बिन्दु संख्या–24/32 में अनुमोदित।
	2.परास्नातक (प्रति पुस्तिका)	25.00	25.00 *(रू0 250 न्यूनतम्)	
5	**प्रश्न–पत्र बनाना**			
	1. स्नातक	800.00	800.00	उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–176 / 70 –1– 2019–15 (32 / 81) दिनाँक 09.03.2019 के अनुसार लागू है।
	2. परास्नातक	1200.00	1200.00	
6	**उड़न दस्ते के सदस्यों का पारिश्रमिक**			
	1. प्रति सदस्य (प्रतिदिन आन्तरिक)	120.00	120.00	उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–176 / 70 –1– 2019–15 (32 / 81) दिनाँक 09.03.2019 के अनुसार लागू है।
	2. प्रति सदस्य (प्रतिदिन वाह्य)	120.00	120.00	
7	**पी0एच0डी0 / डी0लिट0 / *डी0एस0सी0 की थीसिस पढ़ने व मौखिक परीक्षण**			
	1. पीएच0डी0 (थीसिस पढ़ना)	1000.00	1000.00	उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–176 / 70 –1– 2019–15 (32 / 81) दिनाँक 09.03.2019 के अनुसार लागू है।
	2. पीएच0डी0 (मौखिक परीक्षण)	900.00	900.00	
	3. डी0लिट0 (थीसिस पढ़ना)	1400.00	1400.00	
	4. डी0लिट0 (मौखिक परीक्षण)	1000.00	1000.00	
8	**प्रायोगिक परीक्षा**			
	1. स्नातक / बी0एड0 (प्रति छात्र)	16.00	16.00	उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–176 / 70 –1– 2019–15 (32 / 81) दिनाँक 09.03.2019 के अनुसार लागू है।
		600.00 (न्यूनतम)	600.00 (न्यूनतम)	
	2. स्नातकोत्तर (प्रति छात्र)	25.00	25.00	
		900.00 (न्यूनतम)	900.00 (न्यूनतम)	
9	लघु शोध मूल्यांकन (प्रत्येक)	80.00	80.00	

तालिका–02

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

क्रमांक	मद	विश्वविद्यालय की प्राधिकृत परिषद/समिति में औचित्यपूर्ण आख्या के आधार पर मानदेय/पारिश्रमिक निर्धारण हेतु अनुमोदन के संबंध में अद्यतन स्थिति	
1	पर्यवेक्षक (बाह्य)	रू0 325.00 प्रति पाली+ रू0 200 प्रतिदिन स्थानीय यात्रा भत्ता।	वित्त समिति की 23वीं बैठक के बिन्दु संख्या–4/23 में परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारण विषयक एजेण्डा प्रस्ताव के क्रम में वाह्य पर्यवेक्षक के मानदेय के रूप में धनराशि रू0 2000/–एवं नियमानुसार यात्रा भत्ते के भुगतान पर डा0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार (रू0 325.00 प्रति पाली+ रू0 200 प्रतिदिन स्थानीय यात्रा भत्ता।)अनुमोदित है जो कार्यपरिषद की 32वीं बैठक के बिन्दु संख्या–23/32 पर अनुमोदित है।

तालिका–03

क्रमांक	मद	विश्वविद्यालय की प्राधिकृत परिषद/समिति में औचित्यपूर्ण आख्या के आधार पर मानदेय/पारिश्रमिक निर्धारण हेतु अनुमोदन के संबंध में अद्यतन स्थिति	
1	प्रशासनिक अधिकारी/समकक्ष	प्रति पाली रू0 100.00	वित्त समिति की 23वीं बैठक के बिन्दु संख्या–4/23 में परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु पारिश्रमिक/ मानदेय निर्धारण विषयक एजेण्डा प्रस्ताव के क्रम में तदनुसार पैराक्रमांक –03 पर वांछित अनुमोदन प्रदान करते हुए तालिका के क्रम संख्या–03 एव 04 पर अंकित संविदाकर्मी/कम्प्यूटर ऑपरेटर/चतुर्थ श्रेणी कार्मिको को परीक्षा कार्यो के लिये नकद मानदेय के भुगतान पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कार्यपरिषद की 32वीं बैठक के बिन्दु संख्या–23/32 पर अनुमोदित है।
2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	प्रति पाली रू0 90.00	
3	परीक्षा संबंधी कार्यो के सहयोगार्थ संविदा कर्मी/कम्प्यूटर ऑपरेटर (सेवा प्रदाता के माध्यम से योजित कार्मिक)	प्रति पाली रू0 70.00	
4	चतुर्थ श्रेणी/वाहन चालक (नियमित/सेवा प्रदाता के माध्यम से योजित कार्मिक)	प्रति पाली रू0 50.00	

तालिका–04

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों में परीक्षा संबंधी कार्यो के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र–व्यय (सेण्ट्रल चार्जेस) के रूप में रू0 15/–मात्र प्रति परीक्षार्थी की दर से अनुमन्य करते हुए वित्त समिति की 21वीं बैठक के बिन्दु संख्या–17/21 के उपबिन्दु–ड. पर उल्लिखित पैरा क्रमांक–08 पर संस्तुति प्रदान की गई है, जो कार्यपरिषद की 29वीं बैठक के बिन्दु संख्या–10/29 पर अनुमोदित है।

उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि माननीय राज्यपाल, उ0प्र0 राजभवन, लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश संख्या ई–1704/जी0एस0 दिनांक 23.03.2022 में राज्य विश्विद्यालयों द्वारा परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को दी जाने वाली अग्रिम धनराशि की व्यवस्था एतद्द्वारा समाप्त करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं–

क्रमांक	माननीय राज्यपाल, उ0प्र0 राजभवन, लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश	प्रस्ताव
1	विश्वविद्यालय द्वारा शासन के	मा0 कुलाधिपति आदेश दिनांक 23.03.2022 द्वारा

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों को धनराशि का भुगतान किया जाये।	प्रेषित निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्गत शासनादेश संख्या 176/सत्तर –1–2019–15(32)/ 81, दिनांक 09.03.2019 में परीक्षा संबंधी कार्यो/परीक्षा आयोजन हेतु निर्धारित मानदेय की दरों को विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की तृतीय बैठक दिनांक 18.03.2019 के माध्यम से अंगीकृत किया जा चुका है। तदनुसार अनुपालन किया जा रहा है।
2	विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को उनके यहाँ स्थापित परीक्षा केन्द्र पर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या और प्रति परीक्षा के लिए निर्धारित दर के आधार पर गणना करके केन्द्र व्यय हेतु सकल राषि परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व एकमुश्त दे दी जाये। यह धनराशि अग्रिम के रूप में नहीं होगी और न ही इसका समायोजन अपेक्षित होगा। वरन परीक्षा उपरान्त इसका उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।	उक्त आदेश के अनुक्रम में यह संज्ञानित कराना है कि शासनादेश दिनांक 09.03.2019 में केन्द्र व्यय (सेण्टर चार्जेज) के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रति परीक्षार्थी) 15/– रूपये पारिश्रमिक के रूप में निर्धारित है। विश्वविद्यालय द्वारा आर0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित मात्र विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा संकाय के अधीन ही संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान की जा रही है जिसमें विद्यार्थियों की प्रति बैच/सत्र प्रति पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या अधिकतम 30 है। ऐसे स्थिति में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/ महाविद्यालयों में परीक्षा संबंधी कार्यो के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र–व्यय (सेण्ट्रल चार्जेस) के रूप में रू0 15/–मात्र प्रति परीक्षार्थी की दर से परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व सकल राशि एक मुश्त दिये जाने हेतु आगणन करने पर रू0 30*15= रू0 450 ही देय होना प्रतीत होता है। उपरोक्त के आलोक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों में परीक्षा संबंधी कार्यो के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र–व्यय (सेण्ट्रल चार्जेस) के रूप में रू0 15/–मात्र प्रति परीक्षार्थी की दर से परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व एक मुश्त दी जाने वाली सकल राशि का निर्धारण यदि **परीक्षार्थियों की संख्या x दर रू 15/–प्रति परीक्षार्थी x प्रति प्रश्न–पत्र के हिसाब से किया जाता है तो** दृष्टान्त के तौर पर परीक्षार्थियों की संख्या–30 x दर रू 15/–प्रति परीक्षार्थी x प्रति प्रश्न–पत्र–06 =रू0 2700/–देय होगा। कृपया उपरोक्त वस्तुस्थितियों से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/ महाविद्यालयों में परीक्षा संबंधी कार्यो के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र–व्यय (सेण्ट्रल चार्जेस) के रूप में रू0 15/–मात्र प्रति परीक्षार्थी की दर से परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व एक मुश्त दी जाने वाली सकल राशि का निर्धारण/आगणन के संबंध में निर्णय लेना चाहें।
3	केन्द्र अध्यक्ष/सहायक केन्द्र अध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक के पारिश्रमिक का भुगतान इनकी वास्तवित उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए केन्द्र अध्यक्ष का यह दायित्व	उपरोक्तानुसार पैरा कमांक–01 पर निर्धारित दरों के अनुसार ही केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति पत्रक एवं देयकों के आधार पर पारिश्रमिक भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

		होगा कि वह दिन–प्रतिदिन के आधार पर इनकी उपस्थिति ऑन–लाइन व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। साथ ही इनका बैंक विवरण खाता संख्या बैंक का नाम तथा शाखा और बैंक शाखा का आई. एफ.एस.सी. कोड तथा पैन नम्बर भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे। परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त विश्वविद्यालय को इसके सभी परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त होने वाली इस प्रकार की सूचना का संकलन करके प्रत्येक केन्द्र अध्यक्ष / सहायक केन्द्र अध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक को देय पारिश्रमिक की गणना की जायेगी और इस प्रकार गणना के आधार पर आगणित धनराशि सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित केन्द्र अध्यक्ष/सहायक केन्द्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. या ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सीधे भेज दी जायेगी।	

निर्णय :–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं में परीक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारण के संबंध में तालिका–01 से 03 तक पर निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक के कार्यान्वयन पर अनुमोदन प्रदान करते हुए तालिका–04 पर माननीय राज्यपाल, उ0प्र0 राजभवन, लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश संख्या ई–1704/जी0एस0 दिनांक 23.03.2022 में वर्णित आदेश का अनुपालन करते हुए बिन्दु संख्या–02 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों में परीक्षा संबंधी कार्यो के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र–व्यय (सेण्ट्रल चार्जेस) के रूप में रू0 15/–मात्र प्रति परीक्षार्थी की दर से परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व एक मुश्त दी जाने वाली सकल राशि का निर्धारण यदि परीक्षार्थियों की संख्या x दर रू 15/– प्रति परीक्षार्थी x प्रति प्रश्न–पत्र के अनुसार गणना करते हुए निर्धारित किये जाने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए वित्त समिति की आगामी बैठक में औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

11/14 **दिव्यांग विद्यार्थी श्री पंकज कुमार, बी0ए0 पाठ्यक्रम के 2018 में उपाधि प्राप्तकर्ता द्वारा पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के संबंध में।**

निर्णय :–दिव्यांग विद्यार्थी श्री पंकज कुमार को बी0ए0 पाठ्यक्रम के 2018 के उपाधि प्राप्तकर्ता द्वारा पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के संबंध में परीक्षा समिति को यह अवगत कराया गया कि स्नातक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय को मात्र उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तथा यह विषय शून्य क्रेडिट का है, जिससे परीक्षा परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परीक्षा समिति द्वारा उक्त दिव्यांग विद्यार्थी के प्रकरण पर सर्वप्रथम उक्त विद्यार्थी को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी मानते हुए उक्त विद्यार्थी को समग्र तथ्यों के आलोक में यह अवगत कराये जाने पर सहमति दी गयी कि उनके द्वारा वर्तमान में बी0ए0 पाठ्यक्रम में Environmental Studies के अनुत्तीर्ण पेपर की परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर इस प्रतिबन्ध के अधीन दिया जा सकता है कि वह सम्बन्धित प्रश्न–पत्र में उत्तीर्ण होने की ही दशा में वर्तमान तिथि से उत्तीर्ण घोषित होने पर मात्र स्नातक की अंक–तालिका एवं डिग्री उन्हें निर्गत की जायेगी, इससे पूर्व उन्हें स्नातक एवं इस विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र में परास्नातक स्तर की प्राप्त उपाधि को निरस्त कराया जायेगा, भविष्य में उक्त प्रकरण को अन्य किसी प्रकरण में दृष्टांत नहीं माना जायेगा। उक्त के साथ–साथ परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि स्नातक स्तर पर उक्त विषय की उत्तीर्ण होने की

(डॉ0 अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय

	अनिवार्यता हेतु कड़ाई से पालन किये जाने हेतु तत्काल नोटिफिकेशन निर्गत किया जाय तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रचलित किया जाय।
12/14	**छात्र सुजल आशीष, बी0कॉम पाठ्यक्रम द्वारा ईयर बैक के उपरांत त्रुटिवश राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ अधिसत्र की परीक्षा में प्रतिभाग किए जाने के संबंध में।**
	निर्णय :– परीक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि छात्र श्री सुजल आशीष, बी0कॉम पाठ्यक्रम द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ अधिसत्र हेतु पुराने सिलेबस के अनुसार प्रश्न–पत्रों का चयन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र का ही है। अस्तु छात्र को ईयर बैक किया जाएं एवं पुराने सिलेबस के अनुसार परीक्षा सम्पादित करायी जाए।
13/14	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु :–** **परीक्षा विभाग की उपयोग की जा चुकी उत्तर पुस्तिकाओं के निस्तारीकरण किए जाने के संबंध में।**
	निर्णय : परीक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त परीक्षा विभाग की उपयोग की जा चुकी विश्वविद्यालय में रक्षित उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रवेश आवेदन–पत्र/परीक्षा आवेदन के निस्तारीकरण हेतु परीक्षा समिति द्वारा निम्नानुसार एक समिति समित का गठन किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए :– 1 प्रो0 वी0के0 सिंह, आचार्य, अंग्रेजी — वरिष्ठ सदस्य 2 प्रो0 नागेन्द्र यादव, आचार्य, प्रबन्धशास्त्र — सदस्य 3 परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय — सदस्य सचिव 4 प्रशासनिक अधिकारी, परीक्षा — सदस्य सचिव के सहयोगार्थ गठित समिति एक माह में उपरोक्तानुसार उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रवेश आवेदन–पत्र /परीक्षा आवेदन को निस्तारित किये जाने के संबंध में निति निर्धारण हेतु अपनी आख्या मा0 कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
	उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई बिन्दु न होने के कारण उपरोक्तानुसार बैठक समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(डॉ० अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ